

**प्रपत्र VII**  
**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**  
**या**  
**समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार**  
**अधिघोषणा**  
**(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)**

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परियोजनार्थ यथा परियोजना गंडक नदी पर बंगरा घाट पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पूल एवं पहुच पथ के निर्माण कार्य हेतु ग्राम खैरा आशा थाना बैकुण्ठपुर थाना नं0 320 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में कुल 1.48ए0 यानि 0.592 हे0 भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेष 1.48ए0 यानि 0.592हे0 है और जो ग्राम खैरा आशा थाना बैकुण्ठपुर थाना नं0 320 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं0)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	33	25	खतियानी	भीठ	0.08	नरायण राय पिता- चिरकुट राय निवासी- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ0- रामशरण राय द0- रामशरण राय पु0- छवर प0-सिवान प्यारेपुर
02	65	27	केवाला	भीठ	0.185	पीर महमद मियों पिता- स्व0 रामजान मियों निवासी- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ0-शरण राय द0-बुधु धुनीया पु0-छवर प0-सिवान प्यारेपुर
03	75	26	खतियानी	भीठ	0.075	पीर महमद पिता- स्व0 रामजान मियों निवासी- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ0-चिरकुट राय द0-महादेव राय पु0-छवर प0-सिवान प्यारेपुर
04	41	28	खतियानी	भीठ	0.16	रियाजूल वगै0 पिता- ओलाईत मियों निवासी- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ0-महादेव लाल द0-ब्रम्हदेव लाल पु0-छवर प0-सिवान प्यारेपुर

01	02	03	04	05	06	07	08
व भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० मे०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)		
05	44	29	केवाला	भीठ	0.16	ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पिता स्व० ललन प्र० सिन्हा सा० खैरा आशा	ऊ०- फरदी मियों द०-किशुन लाल पु०-छवर प०-सिवान प्यारेपुर
06	44	29	केवाला	भीठ	0.14	फुल महम्मद मियों वो पीर महम्मद मिया पिता स्व० रामजान मियों सा० खैरा आशा	ऊ०- फरदी मियों द०-किशुन लाल पु०-छवर प०-सिवान प्यारेपुर
07	08	30	केवाला	भीठ	0.36	बालमिकी बिमल पिता- पारस नाथ प्रसाद वो ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पिता स्व० ललन प्र० सिन्हा सा०- खैरा आशा	ऊ०-ब्रम्हदेव लाल द०-नीज पु०-छवर प०-परती कदीम
08	113	31	गैरमजरूआ मालिक	भीठ	0.11	अनवर हुसैन वगै० पिता- शैकत अली सा०- खैरा आशा	ऊ०-परती द०-परती पु०-परती प०-परती
09	78	32	केवाला	भीठ	0.06	बालमिकी बिमल पिता- पारस नाथ प्रसाद वो ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पिता स्व० ललन प्र० सिन्हा सा०- खैरा आशा	ऊ०-किशुन लाल द०-सिवान चकिया पु०- छवर प०- परती कदीम
10	21	36	केवाला	भीठ	0.02	मिटन सिंह पिता- स्व० सकलदेव सिंह सा०- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ०-सड़क द०-हाफिज मियों पु०- मिटन सिंह प०- सड़क
11	09	34	खतियानी	भीठ	0.0325	हाफिज मियों पिता- चुल्हाई मियों सा०- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ०-कुबान मियों द०-ब्रम्हदेव लाल पु०- ब्रम्हदेव लाल प०- छवर
12	09	33	केवाला	भीठ	0.045	गुड्डु सिंह पिता- महेश्वर सिंह सा०- खैरा आशा	ऊ०-गूली अहिर द०-कुबान मियों पु०- ब्रम्हदेव लाल प०- छवर
13	44	35	खतियानी	भीठ	0.025	ज्ञानेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव पिता स्व० ललन प्रसाद सिन्हा सा० खैरा आशा	ऊ०-गूली अहिर द०-सिवान चकिया पु०- फरीदन मियों प०- छवर
14	44	35	खतियानी	भीठ	0.025	बालमिकी बिमल पिता स्व० पारस नाथ प्रसाद सा० खैरा आशा	ऊ०-गूली अहिर द०-सिवान चकिया पु०- फरीदन मियों प०- छवर
15	75	40	केवाला	भीठ	0.0025	नरायण राय पिता- चिरकुट राय सा०- खैरा आशा थाना- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज।	ऊ०-किशुन लाल द०-गूली अहिर पु०- चिरकुट राय प०- सड़क

अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं० 30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपयुक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

  
समाहर्ता,  
गोपालगंज।